

प्रेषक,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव/विभागाध्यक्ष
विधायी एवं संसदीय कार्य,
विधायी प्रकोष्ठ,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

संयुक्त सचिव विधि आलेखन,
विधायी एवं संसदीय कार्य,
विधायी प्रकोष्ठ,
उत्तराखण्ड शासन।

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, विधायी प्रकोष्ठ

देहरादून: दिनांक: 29 अक्टूबर, 2015

विषय: पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 108/XXXVI(3)/वि0प्र0/2015-16 दिनांक 24 सितम्बर, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से विधायी प्रकोष्ठ का अधिष्ठान के अन्तर्गत पुनर्विनियोग कराये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। इस सम्बन्ध में विधायी एवं संसदीय कार्य, विधायी प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 126/XXXVI(3)/वि0प्र0/2015-16 दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 द्वारा अनुदान संख्या 07, लेखाशीर्षक 2052-सचिवालय सामान्य सेवाये-00-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-12-विधायी प्रकोष्ठ का अधिष्ठान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए पुनर्विनियोग के माध्यम से कुल ₹80,000.00 मात्र (₹ अस्सी हजार मात्र) का आय-व्ययक आवंटित/स्वीकृत किया गया है।

उक्तवत् आवंटित/स्वीकृत आय-व्ययक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय अनुदान संख्या 07, लेखाशीर्षक 2052-सचिवालय सामान्य सेवाये-00-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-12-विधायी प्रकोष्ठ का अधिष्ठान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए संलग्न अलोटमेंट आईडी संख्या H1510071710 दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्न उल्लिखित मद में कुल ₹80,000.00 मात्र (₹ अस्सी हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि हजार ₹ में)

क्रम संख्या	योजना/मानक मद	स्वीकृत धनराशि
01	06-अन्य भत्ते	80
कुल योग ₹ अस्सी हजार मात्र		80

- पूर्व माह के व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0-08 में अंकित कर प्रतिमाह विलम्बतम 07 तारीख तक अधोहस्ताक्षरी एवं वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जाय।
- उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देते हैं जिन मामलों में बजट मैनुवल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम

प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृतियां अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।
5. उक्त मद में धनराशि का व्यय बजट प्राविधान की सीमाओं में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
6. धनराशि का उपयोग उसी निमित्त किया जाय, जिस प्रयोजन से इसे स्वीकृति दी गई है।
7. धनराशि का नियमानुसार उपयोग तथा सर्वप्रथम पुराने देयकों का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
8. शासनादेश संख्या 400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01 अप्रैल, 2015 एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
9. उक्तवत् स्वीकृत धनराशि के व्यय में मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
10. उक्त पर होने वाले व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 में अनुदान संख्या 07, लेखाशीर्षक 2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-00-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-12-विधायी प्रकोष्ठ का अधिष्ठान के अन्तर्गत 06-अन्य भत्ते के नामे डाला जायेगा।

संलग्न-यथोपरी।

भवदीय,

(जय देव सिंह)
प्रमुख सचिव/विभागाध्यक्ष।

संख्या - 127/XXXVI(3)/वि0प्र0/2015-16/दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. वित्त अधिकारी, केन्द्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालय, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग-05, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें (डाटा सेन्टर) 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
5. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. विभागीय आदेश पुस्तिका।

(जय देव सिंह)
प्रमुख सचिव/विभागाध्यक्ष।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20152016

Principal Secretary, Legislative & Parliamentary Affairs (4663)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 007

अलोटमेंट आई डी - H1510071710

आवंटन पत्र दिनांक 29-Oct-2015

DDO Name - Joint Secretary Legal Drafting Dehradun (4664) . Treasury - Cyber (1200)

लेखा शीर्षक 2052 - सचिवालय-सामान्य सेवायें
090 - सचिवालय
00 - विधायी प्रकोष्ठ

00 -

12 - विधायी प्रकोष्ठ का अधिठान

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	Non Plan Voted	
				योग
01 - वेतन	900000			
03 - पहंगाई भत्ता	1125000	0		900000
04 - यात्रा व्यय	10000	0		1125000
06 - अन्य भत्ते	150000	0		10000
08 - कार्यालय व्यय	25000	80000		230000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	20000	0		25000
12 - कार्यालय फर्निचर एवं उपकरण	20000	0		20000
13 - टेलीफोन पर व्यय	15000	0		20000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेटो	150000	0		150000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं	1250000	0		1250000
22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आ	5000	0		5000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	100000	0		100000
42 - अन्य व्यय	50000	0		50000
44 - प्रशिक्षण व्यय	20000	0		20000
45 - अयकाश यात्रा व्यय	100000	0		100000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	35000	0		35000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	50000	0		50000
	4025000	80000		4105000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes -

80000

(जयदेव सिंह)
प्रमुख सचिव
विधायी एवं संसदीय कार्य
उत्तराखण्ड शासन